न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 21/2022
GCMS CASE NO-2022/21

1. दुर्गादेवी पत्नी चुनीराम जाति स्वामी निवासी सूरतगढ
2. डूंगरदास पुत्र चुनीराम जाति स्वामी निवासी सूरतगढ
3. राकेश पुत्र चुनीराम जाति स्वामी निवासी सूरतगढ

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री बलदेव बिश्नोई अधिवक्ता, अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट

दिनांकः–02.04.2024

:: निर्णय ::

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 जिसके द्वारा अपीलांट के पति/पिता के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 271 में 1.771 है0, ख.न. 272/3/3.795 है0 कुल 5.566 है0 भूमि को पैराफेरी क्षेत्र में मानकर टीसी खारिज कर दी गई थी जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 07.09.2006 द्वारा अपीलांट के पति/पिता चुनीराम पुत्र धन्नाराम को रोही कस्बा सूरतगढ को रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 271 में 1.771 है0, ख.न. 272/3/3.795 है0 कुल 5.566 है0 भूमि टीसी आवंटन होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा है।उक्त रकबा अपीलांट के पति/पिता को राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत आवंटन किया था। राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत आवंटित टीसी भूमि की शर्तो की पालना करने पर पुख्ता करने का प्रावधान है अपीलांटगण के पति/पिता द्वारा आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। आवंटन से लेकर आज भी उक्त रकबा पर काबिज होकर लगातार काश्त करता आ रहा है। रकम मालकाना जमा करवाता रहा है।उक्त रकबा का नवीनीकरण भी आवंटन से लेकर आज तक हो रहा है। अपीलांटगण को बिना सुने पीठ पीछे मात्र एक पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटगण के पति/पिता को खारिज रकबा कर बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये है। जो निम्न कारण से निरस्ती योग्य है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया [illegible]लांट की ओर से अधिवक्ता श्री बलदेव बिश्नोई उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट की ओर [illegible]रोका[illegible] हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] वकील अपी[illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की [illegible] जैर रकबे की खातेदारी [illegible] तहसील आया तब सिगेदार बाबू ने बताया कि उक्त रकबा को तो पैराफेरी मानकर खारिज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री. गंगानगर)
876

Scanned with OKEN Scanner

जा चुका है। प्रार्थी ने निर्णय की नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2022 को दिया तथा नकल दिनांक 24.01.2022 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के प्रार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. धारा 5 मियादअधिनियम–यह कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 17.04.2006 का नोटिस का जवाब स्वयं पेश किया। इससे सावित है कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। मातहत न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था तत्पश्चात आदेश पारित किया गया था। अपीलांट ने अपनी अपील म कतई दर्जनहीं किया कि उसे जैरअपील आदेश की जानकारी नाहो, इसलिए अपीलांट को जैर अपील आदेश की पूर्णतया जानकारी थी।अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने मे देरी की गईहै।अपीलांट द्वारा लगभग 15 से अधिक समय बाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश की गईहै, जो पूर्णतया मियाद वाहर है।अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद मे विलम्ब का कोइ ठोस कारण स्पष्ट नही किया है।संतोषजनक कारण के अभाव मे अपील मियाद वाहर होने के कारण निरस्त योग्य है।कानूनी नजीर आरआरटी 2015 (2) पेजनम्बर 1090, आरआरटी 2015 (1) पेजनम्बर 232, आरआरटी 2002 पेज 33 आरआरटी 2010 पेज 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है।अतः अपीलांट की अपील मियाद वाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तरपर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण वताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी विन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी विन्दुओं के आधार पर करने की वजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत 96 सीपीसी पर वहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि जैर अपील आदेश प्रार्थीगण की पीठ पीछे विना कोई सूचना नोटिस दिया विना सुनवाई किए एक तरफा तौर पर पारित किया गया है। जिससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित होते है। प्रार्थीगण अपने हितो की रक्षा हेतु अपील पेश करने का हकदार है व हितवद्ध पक्षकार है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

8. धारा 96 सीपीसी–अपीलांट के पति/पिता चुनाराम पुत्र धन्नाराम जाति वैरागी साकिन सूरतगढ़ को जैर अपील रकवा टीसी आंवटन था। आवंटी चुनाराम के जीवन काल में ही उक्त रकवा पैराफेरी क्षेत्र मेंआने के कारण मूल आवंटी को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया।जिसका जवाव स्वयं आवंटी ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ही निर्णय पारित किया गया था। आवंटी स्वयं द्वारा ही प्रकरण में समस्त कार्यवाहियां सम्पादित की गई थी जिससे यह सावित है कि आवंटी को उक्त निर्णय की पूर्ण जानकारी थी।अव अपीलांटगण इस न्यायालय मे हितवद्व सावित नही होते है। इसलिए अपीलांट को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है।अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज करते हुए अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

9. उभय पक्ष की वहस पर मनन किया गया जैरअपील रकवा अपीलांट के पति/पिता के नाम से आवंटन हुआ था अपीलांट जैरअपील प्रकरण में हितवद्ध पक्षकार है तथा रकवा पर अपीलांट का हितनिहित है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

गुणावगुण के आधार पर वहस [illegible] पक्ष सुनी [illegible] अपीलांटस द्वारा अपनी अंपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है। कि प्रकर[illegible] अपी[illegible] ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ [illegible] 07.09.2006 [illegible] लांट के पति/पिता चुनीराम पुत्र धन्नाराम को रोही कस्वा सूर[illegible] 272/3/3.795 है0 कुल 5.566 है0 भूमि टीसी आवंटन[illegible] रहा थी। उक्त रकवा अपीलांट के पति/पिता को राजस्थान उपनिवेशन अरथाई कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत आवंटन किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत आवंटित टीसी भूमि की शर्तों की पालना करने पर पुख्ता करने का प्रावधान है अपीलांटगण के पति/पिता द्वारा आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। आवंटन से लेकर आज भी उक्त रकबा पर काबिज होकर लगातार काश्त करता आ रहा है। रकम मालकाना जमा करवाता रहा है।उक्त रकबा का नवीनीकरण भी आवंटन से लेकर आज तक हो रहा है। अपीलांटगण को बिना सुने पीठ पीछे मात्र एक पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटगण के पति/पिता को खारिज रकबा कर बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये है। जो निम्न कारण से निरस्ती योग्य है। मातहत न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते समय ना तो अपीलांटगण को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही अपीलांटगण को कोई नोटिस सूचना भिजवाई गई। अपीलांट की पीठ पीछे बिना सुने एक तरफा तौर पर आदेश पारित किया गया जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती है। एवं अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.9.2006 एक प्रिंटेड फोर्म है। जिसमे मात्र अपीलांटगण के पति/पिता का नाम व रकबा का वर्णन है। अदालत द्वारा जैर अपील निर्णय करते समय माईण्ड अप्लाई नहीं किया गया मात्र प्रिन्टेड फोर्म पर रकबा लिख कर जैर अपील आदेश पारित किया। मात्र प्रिन्टेड फार्म पर रकबा लिख कर जैर अपील आदेश पारित किया गया जबकि अदालत मातहत को जैर निर्णय करते समय स्वय मौका जांच करनी चाहिए थी। मात्र एक पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर व राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप6 विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005, व 8.2.2006 द्वारा ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है। इस भूमि की न तो नवीनीकरण किया जा सकता है और ना ही पुख्ता या खातेदारी दी जा सकती है। को राजस्थान उननिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 की शर्तो व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत वेस्टलेण्ड हेतु बने नियमों के नियम 1996 के अंतर्गत उक्त रकबा खारिज करने के आदेश दियें। जबकि राज्य सरकार का परिपत्र उक्त भूमियों के सम्वंध में नही था। मात्र परिपत्र का हवाला देकर अपीलांटगण के पति/पिता को आवंटित रकबा को खारिज कर दिया इसलिए अपील स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन आदेश रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए पारित किया गया है। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी को वर्ष 1970 में राजस्थान उननिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 के तहत आवंटन की गई थी। जिसका समय समय पर नवीनीकरण प्रार्थी के नाम होता रहा है। मातहत न्यायालय द्वारा यह अंकित नहीं किया गया हैं कि प्रार्थी द्वारा किस शर्त का उल्लंघन किया गया है एवं अपीलाधीन निर्णय नोन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी का है। जैसा कि आर वी जे 2003 पेज 162 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की खण्डपीठ ने निर्णित किया है। कि cpc 1998 o2or4, 6 and 7 Non speaking order Without Concise statement of Facts No legal sancity and does amount a judgement.जैसा कि ए आई आर एससी डब्ल्यू 2005 पेज 1074 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि Disposal must be by reasoned order इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार सूरतगढ ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में अपने न्यायिक मस्तिष्क का उचित तरीके से प्रयोग नहीं किया है एवं अपीलाधीन निर्णय प्रिंटेड फार्म है जिसमें केवल प्रार्थी के दादा का नाम एवं भूमि काअंकन किया गया है। अपीलाधीन निर्णय बिना न्यायिक विवेचन के पारित किया गया है एवं बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए पारित अपीलाधीन निर्णय अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही [illegible] है जिससे केवल प्रार्थी का नाम व भूमि का अंकन किया है बिना न्यायिक [illegible] प्रयोक किये गये पारित निर्णय निरस्त किये जाने योगय है। निग[illegible] पारित किया गया है शर्त 1955 की शर्त 6(4)के तहत [illegible] सलाहकार [illegible] की सलाह से आवंटन करेगा शर्त 19(1) ता (5) के तहत Det[illegible] अभिधृति का पर्यवसन के प्रावधान किया गया है शर्त स. 19 के तहत शक्ति जिला कलक्ट[illegible] निहित है। तहसीलदार को उक्त शक्ति प्रदत्त नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 2(1) में कलक्टर मो निम्न

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

877

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से परिभाषित किया गया है। collector means The collector of the district and includes(a) any officer appointed stage government allover or any the fiction and everse or any the prove collector under act and
(b) any officer appointed before or after comman of this act or purpose colonization तहसीलदार सूरतगढ का अधिकाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। जैसा कि आरआरडी 1958 पेज 83 पर माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने निर्णित किया है। कि

jurisdiction order passed by court without jurisdication effect it is clamentaty principal of law that court has jurisdication over the subject matter of the litigation its judgment and order however. Precisely certain and technically correct they may be are mere nullities and not only voidable but are void and have no effect either as estoppels or otherwise and may not be set aside at any time by the court in which they are pro diced but may be declared to be void by every court in which they may be presented were the court in which they are peo diced but may be declared to be void by every court in which they may be presented were the court has no jurisdiction no amount of consent or waiver can confer it hence the order of the collector deciding that the house can confer it hence the order of the collector deciding that the house was waif propery and direction realization of the sale proceeds there of from the applicant was held ultra virus because it proceed upon and erroneous assumption that a revenue court has jurisdiction in the matter.

इसी प्रकार की आरआरडी 1992 पेज 117 पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकलपीठ ने निर्णय किया है। कि

jurisdiction order passed without jurisdication however precise certain technically correct is an null oit and it is not only voidable, but void

इसलिए क्षेत्राधिकार विहीन आदेश दिनांक 07.09.2008 निरस्त योग्य है।

10. रेस्पोंडेंट ने कथन किया कि न्यायिक दृष्टांत आर आरडी 1992 पेज 431 के अनुसार A Lease of Temporary cultivation automaticall terminates at the end of lease period-an heir to a decasedalloteecan not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits.न्यायिक दृष्टांत आर आरटी 2018 पेज 364 के अनुसार A Lease for Temporary cultivation come on an end automatically on expiry of the term of lease. अर्थात टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही होता है, एक साल के पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि ना तो अपीलांट ने कभी अपना टीसी आवंटन पुख्ता करवाने हेतु कभी प्रार्थना पत्र पेश किया तथा ना ही रकबा पुख्ता आवंटन हुआ। अपीलांट महज टीसी आवंटी है। न्यायिक दृष्टांत आरआरजे 1999 पेज 214 अनुसार टीसी आवंटी को रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगें। अपीलांट्स ने जेर अपील आदेश एक तरफा आदेश बताकर हस्तगत अपील में अनुतोष चाहा है। जबकि अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में ही एकतरफा आदेश निरस्त करने का अनुतोष ले [illegible] के आदेशों के विरुद्ध अपीलपेशकरने के अधिकारी नहीं है। अपीलांट का [illegible] कब्जा [illegible] लगातार कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही अपीलांट्स ने कब्जा [illegible] संबंधी दस्तावेजात [illegible] टीसी आवंटन नियम 1955 के नियम 4 (ड) के अनु[illegible] जिला कलक्टर की शक्तियां तहसीलदार को प्रदान [illegible] कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा तहसीसलदार सूरतगढ को अधिकृत भी किया गयाहै। [illegible] को टीसी आवंटन सलाहकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

समिति द्वारा उक्त रकबा टीसी आवंटन नहीं किया गया था तथा रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही अराजीराज था एव लगातार कब्जा काश्त के अभाव में रकबा निरस्त योग्य ही था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्तियुक्त, विधिसंगत एवं नियमानुसार ही पारित किया गया है जो यथावत रखने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखने के आदेश फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के ख.न. 271 में 1.771 है0, ख.न. 272/3/3.795 है0 कुल 5.566 है0 भूमि को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था। उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का प्रकरण संख्या 36/2006 अनवान सरकार बनाम चुनीराम निर्णय दिनांक 07.09.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner